मध्य प्रदेश मंत्री परषिद के महत्त्वपूर्ण नरि्णय

चर्चा में क्यों?

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य शासन के सभी वभिागों के समान संवर्गों के लयि सुनश्चिति केरयिर प्रोन्नयन योजना लागू करने की स्वीकृतिके साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरि्णय लयि गये।

प्रमुख बदिु

- केरयिर प्रोन्नयन योजना लागू होने से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 35 वर्ष अथवा अधिक अवधकिी सेवा होने की स्थतिमिें दिनांक 01 जुलाई, 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत हो सकेगा।
- चतुर्थ समयमान वेतनमान के दशिा-नरि्देश जारी करने के लयि वत्ति वभिाग को अधकिृत कयिा गया। यह वेतनमान स्वीकृत करने पर शासन पर अनुमानति व्यय भार 250 करोड़ रुपए आएगा।
- मंत्रि-परिषद द्वारा 04 नवीन शासकीय महावदि्यालय, शासकीय वधिमिहावदि्यालय डिंडोरी, शासकीय महावदि्यालय नारायणगंज मंडला, शासकीय महावदि्यालय खरिकयिा हरदा, शासकीय महावदि्यालय खड्डी सीधी की स्थापना को स्वीकृतदिी गई।
- मंत्रि-परिषद ने ज़लिा नर्मदापुरम में नवीन तहसील शविपुर एवं सीधी ज़लिे में नवीन तहसील मड़वास के सृजन की स्वीकृतदिी।
- मंत्रि-परिषद द्वारा वकिसति औद्योगकि क्षेत्रों में अनुसूचति जातएिवं जनजातवि्रग के उद्यमियों हेतु 20 प्रतशित भूखंड का आरक्षण तथा इन उद्यमियों को प्रब्याजी और वकिास शुल्क में 50 प्रतशित छूट देने के संबंध में मध्य प्रदेश एमएसएमई के औद्योगकि भूमतिथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नयिम 2021 (यथा संशोधति अक्तूबर 2022) में संशोधन करने का नरि्णय लयिा गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में 6 नवीन शासकीय आईटीआई की स्थापना का नरि्णय लयिा गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा मुद्रा योजना की पूर्व से मौजूद इकाइयों के लयि, जनिका 01 सतिंबर, 2022 के बाद नवीनीकरण कयिा जा रहा है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांतयिोजना में पात्र होने पर लाभान्वति कयि जाने के लयि योजना में नवीन उद्यम होने संबंधी प्रावधान से छूट दयि जाने का नरि्णय लयिा गया।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/important-decisions-of-madhya-pradesh-council-of-ministers-4